13/8/25: पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी को तामील नहीं हुई है। अतः पुनः तलबाना पेश करने पर तलबी जारी कर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/8/2025 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़,

28/8/25 पत्रावली पेश हु। बार संघ द्वारा हड़ताल/शोकसभा/
न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है। पीठासीन
अधिकारी महोदय चुनाव/अन्य राजस्व कार्य
भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली
दिनांक 25/9/25 को पेश हो। सहायक कार्यालय मनोहरथाना

25/9/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीया एवं
सरकार पेशकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते
आदेश अपेक्षित दिनांक 7/10/25 को पेश
हो।

7/10/25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थीया एवं सरकार No objection
पेशकार उपस्थित। जवाब पेश किया गया।
प्रति अभि० प्रार्थीया को दिलाई गई। पत्रावली पेशकार
वास्ते बहस एवं आदेश दिनांक 16.10.25 को
पेश हो।

16.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थीया उप०।
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा साक्ष्य पेश करने हेतु
समय चाहा। न्यायहित में समय दिया जाकर
अंतिम अवसर प्रदान किया गया। पत्रावली
वास्ते साक्ष्य व एवं आदेश दिनांक 27.10.25
को पेश हो।

27.10.25 पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थीया उप०।
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश
नहीं किया है जिससे सिद्ध होता है कि
रामप्रकाश व ओमप्रकाश एक ही व्यक्ति है।
अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार
कर खारिज निर्णित किया जाकर है। विस्तृत निर्णय
पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम कर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 19/25
उनवान :– रेखा बाई बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 19/25
दायर दिनाँक :– 14.05.2025
निर्णय दिनाँक:– 27.10.2025

उनवान :–

रेखा बाई
बनाम
सरकार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1 श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार सरकार पैरोकार
2 श्री कैलाश चंद वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थीया

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश। अभिभाषक प्रार्थीया एवं सराकर पैरोकार उपस्थित। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी की जमाबंदी में प्रार्थीया के पति का नाम " रामप्रकाश " दर्ज हो रहा है, जो लिपिकीय त्रुटि और गलत है। वास्तव में प्रार्थीया के पति का नाम " ओमप्रकाश " है।

प्रार्थना–पत्र के कथनों का समर्थन करते हुए अभिभाषक प्रार्थीया ने प्रार्थना की उक्त नाम को दुरस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में " रामप्रकाश के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किया जाए। जैसा कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड एवं बैंक पासबुक आदि सरकारी दस्तावेजों में प्रमाणित है। प्रार्थीया ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी खाता संख्या नया 188 पुराना 42 के खसरा नंबर 642/169 की 0.1457 हैक्ट0 ग्राम ढाबा पटवार हल्का छान तह0 मनोहरथाना सम्वत् 2073–2076 की प्रति प्रस्तुत की है।

पैरोकार सरकार ने वादी के प्रार्थना पत्र से असहमति जताते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे सिद्व होता हो कि रामप्रकाश व ओमप्रकाश एक ही व्यक्ति है। अतः उन्होने प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने की प्रार्थना की।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :– 19/25
उनवान :– रेखा बाई बनाम सरकार
निर्णय दिनाँक :–27.10.2025

हमने प्रार्थना–पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश नही किया गया है, जिससे सिद्ध होता हो कि ओमप्रकाश ही रामप्रकाश है, जिसका कि नाम जमाबंदी में दर्ज है, तथा ओमप्रकाश को गलत तरीके से जमाबंदी में रामप्रकाश दर्ज कर दिया गया है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साक्ष्य के अभाव में खारिज़ निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, मनोहरथाना